।। कार्यालय पदमिनी महिला बटालियन सीकर कैम्प अजमेर राज0 ।।

क्रमांक :– न–5( )पदमिनी/कानि0भर्ती/2025/ 649-652 दिनांक :– 27-01-2026

–:: आदेश ::–

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1535 दिनांक 26.04.2025 एवं 1762 दिनांक 12.05.2025 के अनुसार पदमिनी महिला बटालियन सीकर में **कानिस्टेबल (सामान्य) के कुल 501** (सामान्य 181, एससी 80, एसटी 60, ओबीसी 105, एमबीसी 25, आर्थिक पिछड़ा वर्ग 50) **कानिस्टेबल (चालक) के कुल 30** (सामान्य 13, एससी 04, एसटी 03, ओबीसी 06, एमबीसी 01, आर्थिक पिछड़ा वर्ग 03) **कानिस्टेबल (बैण्ड) के कुल 11** (सामान्य 06, एससी 01, एसटी 01, ओबीसी 02, आर्थिक पिछड़ा वर्ग 01) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर दिनांक 13.09.2025 व 14.09.2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों का अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक न–5(17)पुलिस फोर्स/कानि0भर्ती–25/2025/5886 दिनांक 03.12.2025 के तहत् गठित बोर्ड द्वारा दिनांक 12.12.2025 से 15.12.2025 तक ग्रुप सेन्टर–1 सी.आर.पी.एफ. गोल्फ कोर्स रोड अजमेर में शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापतौल (PET/PST) परीक्षा का आयोजन किया गया । उक्त परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों का गठित चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश 07/2025 के प्रावधानुसार दिनांक 15.12.2025 को 494 कानिस्टेबल (सामान्य), 29 कानिस्टेबल (चालक), 11 कानिस्टेबल (बैण्ड) की चयन सूची तैयार की गई।

चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची का उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 6244 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा अनुमोदन किया जाकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बंधी समस्त औपचारिक्तायें (यथा–बायोमैट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन आदि) पूर्व कर नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देशो की पालना में निम्नांकित अभ्यार्थियो के बायोमैट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन में योग्य पाये जाने तथा इनके शिक्षा, जाति, मूल निवास, एन.सी.सी., पुलिस विषय सम्बंधी डिप्लोमा आदि अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट (ऑनलाईन/ऑफलाईन) में किसी प्रकार की प्रतिकुल टिप्पणी अंकित नही होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–15(1) एफडी/(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेनतमान) नियम–2017 के नियम–16 शैड्यूल–iv के प्रावधानुसार रूपये 14600/– (अक्षरे चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह पर इन्हें दो वर्ष की परीविक्षा अवधि के लिए **कानिस्टेबल सामान्य, /कानिस्टेबल चालक / कानिस्टेबल बैण्ड (प्रशिक्षु)** के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की राशि राज्यसेवा में उपस्थिति/कार्य ग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते देय नहीं होंगे तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नही माना जायेगा।

यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989, राजस्थान सेवा नियम–1951 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशो एवं शर्तो के अध्यधीन रहेगी।

कानिस्टेबल सामान्य

क.सं.	चयन सूची कमांक	रोल नं0	नाम	पिता/पति का नाम	मूल वर्ग	लिंग	जन्म तिथि	शिक्षा	चयन वर्ग	स्थाई पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	489	310114142	RAKESH KUMAR	BIRBAL RAM	OBC-NON CREAMY	MALE	12/12/1984	12th	OBC ExM7	गांव—गोरधनपुरा, पोस्ट—नयाबास, तह—नीमकाथाना, जिला—सीकर

कानिस्टेबल सामान्य/चालक/बैण्ड पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी :—

1. ड्यूटी ज्वाईनिंग के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
2. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाई करण होने के पश्चात स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना कमाक एफ—15 (1) एफडी/(नियम)/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे—मैट्रिक्स लेवल—5, सेल—1 (लेवल का न्यूनतम 20800/—) में नियमित वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होगे तथा नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ—15(1) एफडी/(नियम)/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के Schedule IV (Rule No.16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में 15 दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे में जमा नही किया जायेगा।
4. इन्हें राजस्थान सेवा नियम —1951 के नियम—103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश संख्या—एफ 12 (3) एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—5 (5) एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021, आदेश संख्या—एफ—5 (5) एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 पार्ट—।। दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2022 में वर्णितानुसार आर.जी.एच.एस योजना लागु होगी व नियमानुसार कटौतिया की जायेगी।
7. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ—13 (3) एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001, आदेश संख्या—प—7(1) कार्मिक/क—2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानुसार नियुक्ति के पश्चात यदि अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते है तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह मे दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पत्नी रखने, आपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजो विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरूद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जायेगा।
9. कानिस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मुल प्रमाण पत्रों में नियुक्ति के उपरान्त भी किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार विधिसम्म्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

10. अभ्यर्थी को 100/— रूपये के ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर एक बन्धपत्र कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बन्ध पत्र के अनुसार आरएसी में प्रशिक्षण अवधि समाप्ति दिनांक से 02 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इस अवधि से पूर्व इस कार्यालय की बिना अनुमति अन्य नियोजन स्वीकार करने/त्यागपत्र देने/फरार/गैरहाजिर होने पर वास्तविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किये गये वेतन भत्तो की राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है। **(प्रारूप संलग्न है)**

11. आरएसी एक्ट की धारा—4 मे वर्णित प्रावधानानुसार इकरारनामा (पुलिस सेवा बॉण्ड) अनवार्य रूप से 100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। **(प्रारूप संलग्न है)**

12. अभ्यर्थीयों को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यो का राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बंधी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(प्रारूप संलग्न है)**

अभ्यर्थी (1) दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपडे (2) मैस एडवांस राशि 4000/— (3) कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 3000/— (4) 10 पासपोर्ट साईज फोटो तथा भारतीय स्टैट बैंक खाता पास बुक (5) आश्रित माता—पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री के 2—2 पासपोर्ट साईज फोटो (6) सलंग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार बन्धपत्र, शपथ पत्र साथ लेकर **दिनांक 30.01.2026 को कार्यालय पदमिनी देवी महिला बटालियन सीकर कैम्प हाडी रानी महिला बटालियन नारेली अजमेर** में उपनी उपरिथति देवे। उपरिथति नहीं दिये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

नोटः— खेल कोटा भर्ती के सम्बंध में पदों की संख्या माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19507/2025 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

आदेश पंजिका बद्ध हो।

ई.ओ.बी. कमांक :—07 दिनांक :27.जनवरी 2026

27/01/26

(मोनिका सेन)
आई.पी.एस.
कमाण्डेन्ट
पदमिनी महिला बटालियन
सीकर हाल कैम्प अजमेर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ सादर प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएससी बटालियन्स मय एमबीसी/हाडीरानी/एसडीआरएफ/महाराणा प्रताप बटालियन।
5. पुलिस अधीक्षक, एस.सी.आर.बी. राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि नियुक्ति आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करें।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. डिप्टी कमाण्डेन्ट, पदमिनी देवी महिला बटालियन सीकर ।
2. डिप्टी कमाण्डेन्ट/एडज्यूटेन्ट/क्वार्टर मास्टर हाडी रानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर।
3. समस्त सहायक कमाण्डेन्ट हाडी रानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर।
4. कम्पनी कमाण्डर मुख्यालय स्टॉफ हाडी रानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर।
5. प्रभारी परिवहन शाखा हाडी रानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर।
6. समस्त शाखा प्रभारी हाडी रानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर।
7. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

कमाण्डेन्ट
पदमिनी महिला बटालियन
सीकर हाल कैम्प अजमेर